

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(L74899DL1989PLC036148)

Regd. Off: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025

Ph: 91-11-40500300; Fax: 91-11-40500333

Website: www.blkashyap.com, Email: info@blkashyap.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Rs. In Lakhs

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED			
		Quarter ended	Year Ended	Quarter ended	Quarter ended	Year Ended	Quarter ended
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)
1	Total Income from operations	28,561.23	115,045.73	24,078.97	28,897.94	115,968.65	24,144.19
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	2,050.84	4,875.56	1,455.67	1,672.77	2,732.31	905.50
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	2,050.84	9,143.64	1,455.67	1,672.77	6,592.39	905.50
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,485.41	6,597.54	1,060.64	1,173.20	4,394.88	621.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,477.96	6,567.75	1,085.70	1,166.47	4,367.75	647.87
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of the Share Rs 1/-)	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40	2,254.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	58,610.09	57,132.13	51,650.08	41,208.47	40,042.01	36,322.13
8	Earning Per Share of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations)						
	Basic:	0.66	2.93	0.47	0.52	1.95	0.28
	Diluted:	0.66	2.93	0.47	0.52	1.95	0.28

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2022 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.blkashyap.com).

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th August, 2022.

For and on behalf of the Board of
B.L. Kashyap and Sons Limited
Sd/-
Vinod Kashyap
Chairman
(DIN: 00038854)

Place: New Delhi
Date: 10th August, 2022

WE BUILD YOUR WORLD**NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED**

Regd. Office : Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi - 110 091

Tel: 0120-2516495 Fax : 0120-2516440

CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email : ntbc@ntbcl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED					
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended				
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)				
I	Total Income from Operations	650.73	656.71	127.61	1,722.59	650.73	650.82	127.96	1,723.19
II	Profit/(Loss) for the period before taxation	(881.24)	(950.71)	(1,145.58)	(4,146.59)	(882.54)	(963.32)	(1,130.11)	(4,114.91)
III	Net Profit/(Loss) from Continuing operations	(881.24)	(950.71)	(1,145.58)	(4,146.59)	(882.54)	(963.32)	(1,130.11)	(4,114.91)
IV	Total Other Comprehensive Income for the period	(0.47)	(3.68)	(0.07)	(1.88)	(0.39)	(3.77)	(0.22)	(1.55)
V	Total Comprehensive Income for the period	(881.71)	(954.39)	(1,145.65)	(4,148.47)	(882.93)	(967.09)	(1,130.33)	(4,116.46)
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	N/A	N/A	N/A	8,529.48	N/A	N/A	N/A	8,517.30
VIII	Earning per share (Rs.)								
	Basic	(0.47)	(0.51)	(0.62)	(2.23)	(0.47)	(0.52)	(0.61)	(2.21)
	Diluted	(0.47)	(0.51)	(0.62)	(2.23)	(0.47)	(0.52)	(0.61)	(2.21)

Notes to Financial Results

1. The above results have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 10, 2022.

2. The Hon'ble High Court of Allahabad has, vide its judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed), directed the Company to stop collecting the user fee, holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative, but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016, against which the Company has filed a Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court of India, seeking an interim stay on the said judgement.

On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued an Interim Order denying the interim stay and sought assistance of the CAG to verify whether the 'Total Cost' of the Project in terms of the Concession Agreement has been recovered or not by the Company. CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court and the bench has directed on September 14, 2018, that the report submitted by the CAG be kept in a sealed cover.

The Special Leave Petition (SLP) is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitutes a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA.

The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, on the maintainability of the arbitration proceedings, which was rejected by the Arbitral Tribunal vide Order dated August 10, 2018.

NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31, 2019, without any relief to NOIDA.

NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court, seeking a stay on arbitral proceedings. On April 12, 2019, the Hon'ble Supreme Court directed a stay on the arbitral proceedings.

On January 31, 2020, the Company filed an application for vacation of the interim stay, granted vide Order dated April 12, 2019. In view of the outbreak of COVID-19, the functioning of the Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filing of letter of urgency, the matter was heard by the Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 5, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, July 26, 2021, August 10, 2021, September 8, 2021, November 18, 2021, December 1, 2021, December 7, 2021, December 9, 2021, December 15, 2021, January 6, 2022, January 10, 2022, January 19, 2022, March 29, 2022 and May 10, 2022, and has now been posted for hearing on August 23, 2022.

Based on a legal opinion and reliance placed by the Board of Directors on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying values of the intangible and other assets are not impaired.

The Company continues to fulfill its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets.

On September 20, 2021, the Company has received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) c.w.s. 144B of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Year 2018-19, wherein a demand of Rs.46.23 crores has been raised, primarily on account of valuation of land, by treating land as a revenue subsidy.

The Company has on September 30, 2021, requested the Assessing Officer of Income Tax to keep the penalty proceedings in abeyance and has filed an appeal on October 19, 2021, with the Commissioner of Income Tax (Appeals) and National Facelless Appeal Centre (NFAC), against the aforesaid assessment order.

During December 2019, the Company had received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Years 2016-17 and 2017-18, wherein a demand of Rs.357 crores and Rs.383.48 crores respectively was raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With the transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the NFAC.

The Company has also received a Show Cause Notice, dated May 15, 2021, u/s 270A from the NFAC for Assessment Years 2016-17 and 2017-18. However, the Company has requested that the penalty proceedings be kept in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income Tax (Appeals).

The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs.1,340.03 crores, which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on account of allotment of land. Pursuant to the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received a notice of demand from the Assessing Officer, Income Tax Department, New Delhi, in respect of Assessment Years 2006-07 to 2014-15, giving effect to the said order from CIT(A), whereby an additional tax demand of Rs.10,893.30 crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and February 6, 2019 and based on NCLAT Order dated October 15, 2018, ITAT adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo.

Further, in November 2018, the CIT(A), Noida, passed a penalty order for Assessment Years 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi, imposed a penalty amounting to Rs.10,893.30 crores in December 2018. The Company has filed an appeal, along with a stay application with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 3, 2019, which has adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo.

On April 21, 2022, the Company has filed an application for early hearing of the appeals pending before the Hon'ble ITAT in respect of AY 2006-07 to 2014-15 and subsequently the matter was heard by ITAT on May 6, 2022. Further, the appeals along with the stay application came up for hearing on July 21, 2022 and on that date, the office of the Special Counsel appointed by the Department sought the adjournment. The next date of hearing is October 20, 2022.

In terms of an affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by the New Board, along with its amendments. In the said Order, Hon'ble NCLAT has also approved October 15, 2018, as the Cut off date for initiation of resolution process for IL&FS and its group companies, including the Company. Accordingly, the Company has not provided for any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date").

The re-opening of the books of account, investigations by Serious Fraud Investigation Office (SFIO) and other regulatory agencies and forensic examination by Grant Thornton India LLP, which is under process for certain group entities does not have any impact on the financial statements/operations of the Company.

The Company, on October 4, 2021, received a final Notice of Demand dated September 30, 2021, from NOIDA, wherein NOIDA raised an alleged demand of Rs.26.05 crores calling upon the Company to pay the amount within three days of receipt thereof, failing which NOIDA threatened to remove all advertisement displayed on the NOIDA side of the DND Flyway. On receipt of the said Notice, the Company filed an interim application on October 4, 2021, before the Hon'ble Supreme Court. Based on the Letter of Urgency/ Mentioning filed by the Company, the matter was listed for hearing on October 26, 2021. In spite of the Company informing all the developments at the Hon'ble Supreme Court to NOIDA, the NOIDA authorities, unlawfully removed all the advertisement display from NOIDA side of the DND Flyway on October 14, 2021.

On October 26, 2021, the matter was not taken up for hearing by the Hon'ble Supreme Court due to paucity of time. The Company once again physically mentioned the urgency before the Hon'ble Supreme Court on October 28, 2021 and the matter was listed for hearing on November 9, 2021. The matter was subsequently taken up for hearing on December 1, 2021 and December 7, 2021. Subsequently, on December 9, 2021, the matter was mentioned and was heard by the Hon'ble Supreme Court on December 15, 2021, January 6, 2022 and January 10, 2022. On January 19, 2022, the Hon'ble Supreme Court disposed the interim application filed on October 4, 2021, with the direction that the Company shall be permitted to put up outdoor advertisement on payment of Rs 125 per square feet per month, in advance, subject to the outcome of the SLP of 2016 filed by the Company.

During September 2018, NOIDA had served a writ of demand for an amount of Rs.3.69 crores, in relation to revenue from advertising on the NOIDA side of the DND Flyway and an additional demand (during December 2018 and April 2019) aggregating Rs.4.76 crores towards arrears of licence fee. The Company had requested NOIDA to keep both the demands in abeyance since the matter had been referred to Arbitration by NOIDA and further no action could be taken against the Company due to the moratorium granted in view of the NCLAT order dated October 15, 2018.

The Company has only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable.

The figures for the quarter ended March 31, 2022, are the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended March 31, 2022, and the published year to date figures upto third quarter ended December 31, 2021, which have been subjected to limited review by the statutory auditors.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Previous period/year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors
Director

Place: Noida
Date: August 10, 2022

FINANCIAL EXPRESS

SUDEV INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: B1/26, Sector-18, NOIDA Gautam Buddha Nagar UP-201301
CIN No. - L25201UP1992PLC018150, Tel. No: 8447772150
Website: www.sudev.co.in, E-mail: info@sudev.co.in

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2022

PARTICULARS	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	In Lakhs
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	30.06.2022	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
1. Total income from operations (net)	-	-	-	-	-
2. Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	-	-	-	-	-
3. Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	(11.81)	(20.552)	(0.430)	(25.921)	
4. Minority Interest (Share of profit/loss of associates)*	-	-	-	-	-
5. Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	(11.81)	(20.552)	(0.430)	(25.921)	
6. Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-
7. Total Comprehensive Income for the period	(11.81)	(20.552)	(0.430)	(25.921)	
8. Equity Share Capital	278.8175	350.074	350.074	350.074	
9. Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	(392.859)	
10. Earning Per Share (of ₹ 10/- each)					
Basic:	-	-	-	-	-
Diluted:	(0.424)	(0.488)	(0.010)	(0.615)	

Note: The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the first quarter ended on 30th June, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for quarter ended on 30th June, 2022 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.sudev.co.in).

For Sudev Industries Limited
Sd/-
Rajiv Agarwal
(Director)

Place: Uttar Pradesh
Date: 13th August, 2021

BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED
Regd. Office: B-09, 412, ITL Tower, Netaji Subhash Place, Patparguna, New Delhi-110088
Website: www.brilliantportfolios.com, Tel: 011-45059883, Email: brilliantportfolios@gmail.com
CIN NO - L74899DL1994PLC027507

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2022

(Rs. In Lakhs except per share data)

Particulars	Quarter ending	Quarter ending	Quarter ending	Year ending
	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
Total Income From Operations (Net)	61.89	61.22	56.46	232.96
Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax and Exceptional Items)	12.96	4.40	10.43	42.33
Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional Items)	12.96	4.40	10.43	42.33
Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (After Exceptional Items)	9.65	3.41	7.85	31.88
Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period	9.65	3.41	7.85	31.88
Equity Share Capital	310.18	310.18	310.18	310.18
Earning Per Share (Face Value of ₹ 10/- Each)				
1. Basic	0.31	0.11	0.25	1.03
2. Diluted	0.31	0.11	0.25	1.03

Note:

- The financial results of the Company for the Quarter ended June 30, 2022 have been reviewed & recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 09/08/2022.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for the financial results for the Quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the financial results for the Quarter ended June 30, 2022 is available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company Website www.brilliantportfolios.com.
- The figures of the previous period/year have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable with the current period's figures.

For and on behalf of the Board of Directors of
Brilliant Portfolios Limited
Sd/-
RAVI JAIN
MANAGING DIRECTOR
(DIN: 02682612)

Place: New Delhi
Date: 09/08/2022

OMANSH ENTERPRISES LIMITED
CIN: L01100DL1974PLC241646
Regd. Off.: Office No. 153, 1st Floor, Vardhman Premium Mall, Opposite Kalia Mata, Deepali Chowk Patparguna, New Delhi-110034
Email: omanshwork@gmail.com, Website: www.omanshenterprises.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022 (Rs. In Lakh)

Sl. No.	Particulars	3 months ended	Corresponding 3 months ended	12 months ended
		30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	Total Income from Operations	10.00	207.00	359.70
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	-2.98	-13.73	-27.74
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	-2.98	-13.73	-27.74
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	-2.98	-13.73	-27.74
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-2.98	-13.73	-27.74
6	Equity Share Capital	355.00	355.00	355.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.00	0.00	0.00
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each):			
	1. Basic (Rs.):	-0.02	-0.08	-0.16
	2. Diluted (Rs.):	-0.02	-0.08	-0.16

Note:

- The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 10th August, 2022. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.omanshenterprises.in) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).
- The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended 30th June, 2022 which needs to be explained.

For Omansh Enterprises Limited
Sd/-
Rakesh Kumar
Managing Director & CFO
(DIN: 08913679)

Place: Delhi
Date: 10th August, 2022

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS	ANSWER
1. Name of the corporate debtor	Hansraj Agrofresh Private Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	29.08.2014
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Kanpur
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U15490UP2014PTC065749
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered address: C-23, 2nd Floor, Swastik Gardenia Shivpur Varanasi UP 221003.
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	31.01.2022
7. Date of invitation of expression of interest	11.08.2022 (previously issued on 25.05.2022)
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Can be sought by sending a request to Resolution Professional at crp.hapi@gmail.com , cadevrana@gmail

ओमांश इंटरप्राइजेज लिमिटेड
(सीआईएन: L01100DL1974PLC241646)
पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय सं. 153, प्रथम तल, बडदामा निधिग्राम मॉल, काली माता के सामने, दीपावली चौक, पीपलपुरा, नई दिल्ली-110034
ईमेल: omanshwork@gmail.com, वेबसाइट: www.omanshenterprises.in
30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	समाप्त 3 महीने 30.6.2022	तदनुपूर्वी समाप्त 3 महीने 30.6.2021	रु. लाख में)
1	प्रचालनों से कुल आय	10.00	207.00	359.70
2	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर एवं आपादाधिक मनों से पूर्व)	-2.98	-13.73	-27.74
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपादाधिक मनों के उपरांत)	-2.98	-13.73	-27.74
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपादाधिक मनों के उपरांत)	-2.98	-13.73	-27.74
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	-2.98	-13.73	-27.74
6	समाप्त अंश पूंजी	355.000	355.000	355.000
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	0.000	0.000	0.000
8	आय प्रति अंश (रु. 2/- प्रत्येक का)			
	1. मूल (रु.) :	-0.02	-0.080	-0.16
	2. तरलीकृत (रु.) :	-0.02	-0.080	-0.16

टिप्पणियाँ
1) उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। विस्तृत वित्तीय परिणामों तथा इन सारांश की पुनरीक्षा लेखा-नौकरा समिती द्वारा की गई थी और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त, 2022 को आयोजित की गई बैठक में इनका अनुमोदन किया गया है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (www.omanshenterprises.in) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।
2) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार सीमित पुनरांश को पूर्ण कर दिया गया है और संबंधित परिधेयन को भी लब्ध करा है उसका 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त परिणामों एवं टिप्पणियों पर कोई प्रभाव नहीं है, जिसे विस्तार से बताए जायेगी आवश्यकता है।
कृते, ओमांश इंटरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता/-
राकेश कुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीओफओ
सीआईएन: 0891397

मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
सीआईएन : L65999DL1985PLC022321
पंजीकृत पता : 1, कम्प्यूटी रोड, इंदर एक केम्पस, नई दिल्ली-110065
वेबसाइट : www.maxpluslogisticslimited.com
ईमेल आईडी : mcstitch.ecx@max@gmail.com टेली नं. : 011-49057869
30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अनेकक्षित वित्तीय परिणामों (प्रारंभिक) का सारांश (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.6.2022 (समीक्षापूर्व)	समाप्त तिमाही 31.3.2022 (अनेकक्षित)	समाप्त तिमाही 30.6.2021 (समीक्षापूर्व)	समाप्त तिमाही 31.3.2022 (अनेकक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	0.00	0.10	0.00	0.10
2	अवधि हेतु कुल लाभ / (हानि) (कर-अपेक्षित कर-अवकाश आकलन मनों से पूर्व)	(2.67)	(6.72)	(1.86)	(17.04)
3	कर पूर्व अवधि हेतु कुल लाभ / (हानि) (अपेक्षित तथा/अवकाश आकलन मनों के परचा)	(2.67)	(6.72)	(1.86)	(17.04)
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपादाधिक तथा/अपचा अपादाधिक मनों के परचा)	(2.67)	(6.72)	(1.86)	(17.04)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर परचा) तथा/अन्य अलग अलग आय (कर परचा) से निर्मित)	(2.67)	(6.72)	(1.86)	(17.04)
6	समाप्त अंश पूंजी	989.45	989.45	989.45	989.45
7	अन्य सूचित				
8	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक के अक्षित मूल्य) बेशिक एवं डाक्यूंटेट :	(0.07)	(0.17)	(0.05)	(0.43)

टिप्पणियाँ
1. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। विस्तृत वित्तीय परिणामों तथा इन सारांश की पुनरीक्षा लेखा-नौकरा समिती द्वारा की गई थी और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त, 2022 को आयोजित की गई बैठक में इनका अनुमोदन किया गया है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (www.maxpluslogisticslimited.com) पर उपलब्ध है।
2. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार सीमित पुनरांश को पूर्ण कर दिया गया है और संबंधित परिधेयन को भी लब्ध करा है उसका 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त परिणामों एवं टिप्पणियों पर कोई प्रभाव नहीं है, जिसे विस्तार से बताए जायेगी आवश्यकता है।
कृते, मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
हस्ता/-
राकेश कुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीओफओ
सीआईएन: 0891397

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड
पंजी. क्रमां.: टोल प्लाज़ा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091
टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440
CIN: No: L45101DL1996PLC315772; ईमेल:ntbcl@ntbcl.com, वेबसाइट: www.ntbcl.com

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही का अनेकक्षित वित्तीय परिणाम (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
		समाप्त तिमाही 30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	समाप्त वर्ष 31.03.2022	समाप्त तिमाही 30.06.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2022
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	प्रचालनों से कुल आय	650.73	656.71	127.61	1,722.59	650.76	127.96
II	कराण के पूर्व वर्ष/अवधि हेतु लाभ	(881.24)	(950.71)	(1,145.58)	(4,146.59)	(882.54)	(963.32)
III	समत प्रचालनों से निवल लाभ / (हानि)	(881.24)	(950.71)	(1,145.58)	(4,146.59)	(882.54)	(963.32)
IV	अवधि हेतु कुल अन्य व्यापक आय	(0.47)	(3.68)	(0.07)	(1.88)	(0.39)	(3.77)
V	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(881.71)	(954.39)	(1,145.65)	(4,148.47)	(882.93)	(967.09)
VI	प्रदात इन्विस्टी शेर पूंजी (रु. 10 प्रत्येक का अक्षित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	आरक्षित (गत वर्ष के तुलन पर से प्रदक्षित के अनुरार पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	N/A	N/A	N/A	8,529.48	N/A	N/A
VIII	आय प्रति शेयर बेशिक/डाक्यूंटेट	(0.47)	(0.51)	(0.62)	(2.23)	(0.47)	(0.61)

टिप्पणियाँ तथा वित्तीय परिणाम :
1. उपरोक्त परिणाम कम्पनी के सांख्यिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधधीन रहे जिनकी ऑडिट कमीटटी द्वारा की गई तथा 10 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।
2. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 के अपने फैसले में 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देने हुए और रियायत समझौते को रद्द करने की मांग करते हुए) कंपनी को निर्देश दिया था कि शुल्क वसूलने और संग्रह करने से संबंधित दो विवादित प्रावधानों को निष्क्रिय मानते हुए, उपयोक्तारता शुल्क एकत्र करना बंद करें, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोक्तारताओं से उपयोक्तारता शुल्क का संग्रह 26 अक्टूबर 2016 से निलंबित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पेशल लीव प्लीडिंग (एसएलपी) दायर की गई है जिसमें उक्त फैसले पर अंतिम रोक लगाने की मांग की गई है। 11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम स्थान से इंकार कर दिया लेकिन, यह बात लगाने के लिये सीएजी की सहयता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वारा वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुद्रबंद लिफाफे में रखी जाये।
विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसूचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थानित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चूंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विधान की एक नोटिस भेजी थी।
विधान अधीकरण का गठन कर लिया गया है तथा दोनों कंपनी को नोएडा ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। आगे, नोएडा विधान कार्यवाही की मन्ट्रनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दायित्व किया है जिसे आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विधान अधीकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।
नोएडा ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा को विना किसी राहत के 31 जनवरी, 2019 को निपटा दिया था।
नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विधान कार्यवाहियों के लिये एक आवेदन दायित्व किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधान कार्यवाहियों पर रोक का निर्देश दिया।
31 जनवरी, 2020 को, कंपनी ने 12 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत दिए गए अंतिम स्थान को छोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का कामकाज केवल अत्यावश्यक मामलों तक ही सीमित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अप्रैल, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 सितंबर, 2021, 26 अक्टूबर, 2021 और 9 नवंबर, 2021 और 1 दिसंबर, 2021, 9 दिसंबर, 2021, 9 दिसंबर, 2021, 15 दिसंबर, 2021, 6 जनवरी, 2022, 10 जनवरी, 2022, 19 जनवरी, 2022, 29 मार्च, 2022 तथा 10 मई, 2022 को अत्यावश्यक पत्र दायित्व करने के अनुरारण में मामले को सुनवाई की गई और अब मामले को सुनवाई हेतु 23 अगस्त, 2022 को पत्र दायर किया गया है।
विधिक अधिनियम और निदेशक मंडल की निर्भरता के आधार पर, कंसेशन एग्रीमेंट (क्षतिपूर्ति एवं अन्य रिस्क) से सम्बन्धित के प्रावधानों पर, कंपनी को विश्वास है कि अमूर्त और अन्य संपत्तियों के अंतर्निहित मूल्य प्रभावित नहीं होते हैं।
कम्पनी परियोजना आस्तियों के रखरखाव सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अनुरार अपने दायित्व को पूर्ण करती रहेगी।

30 सितंबर, 2021 को, कंपनी की निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ पठित आयकर विभाग से धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण, भूमि को राजस्व सखिडी मानने के कारण 46.23 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
कंपनी ने 30 सितंबर, 2021 को आयकर के निर्धारण अधिकारी से दंड की कार्यवाही को रोक रखने का अनुरोध किया और 19 अक्टूबर, 2021 को आयकर आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएससी) के पास उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की।
दिसंबर 2019 के दौरान कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 हेतु निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रमशः 357 करोड़ रुपये और 383.48 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित है, जो मुख्य रूप से भविष्य में वसूल की जाने वाली निरिस्ट रिटर्न की बकाया राशि, भूमि के मूल्यांकन और अन्य वसूलियों के कारण है। कंपनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकारियों के पास अपील दायर की है। फेसलेस अपील में संकरण के साथ, जैसा कि फेसलेस अपील का आदेश, 2020 के तहत पेश किया गया था, दोनों अपीलों को एनएफएससी में स्थानांतरित कर दिया गया है।
कंपनी को नि.च. 2016-17 और नि.च. 2017-18 के लिए एनएफएससी से एक कारण बलाओ नोटिस, दिनांक 15 मई 2021, धारा 270ए के तहत प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने अनुरोध किया है कि दंड की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए क्योंकि योच्यता के आधार पर अपील वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है।
आयकर विभाग ने पहले के वर्षों में 1,340.03 करोड़ रुपये की मांग की है, जो मुख्य रूप से भूमि के आवेदन के कारण टोल और राजस्व सखिडी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले नामित रिटर्न के बकाया के कारण था। 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश प्राप्त होने के अनुरारण में, सीआईटी (ए) के उक्त आदेश के अनुरार, जिससे 10,893.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी, कंपनी को निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग, नई दिल्ली से निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के प्रभाव के संबंध में मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण हुई। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायधिकरण (आईटीएटी) के साथ स्ट्रे आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर, 2018, 2 जनवरी, 2019, 6 फरवरी, 2019 को मामले को सुनवाई की गई और 15 अक्टूबर, 2018 के एनसीएलएटी आदेश के आधार पर, आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के साथ मामले को अतिरिक्त कर के लिए स्थगित कर दिया।
इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी (ए), नोएडा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए जुमाना आदेश पारित किया, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में 10,893.30 करोड़ रुपये का जुमाना लगाया। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायधिकरण (आईटीएटी) के साथ एक स्थगित आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। आईटीएटी ने मामले को सुनवाई 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की थी। आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अतिरिक्त काल के लिए स्थगित कर दिया है।
21 अप्रैल, 2022 को, कंपनी ने नि.च. 2006-07 से 2014-15 के संबंध में माननीय आईटीएटी के समक्ष लंबित अपीलों को सीए सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में आईटीएटी द्वारा 6 मई, 2022 मामले को सुनवाई की गई। इसके अलावा, स्थगित आवेदन के साथ अपील 21 जुलाई, 2022 को सुनवाई के लिए आई और उस तारीख को विभाग द्वारा नियुक्त विशेष वकील के कार्यालय ने स्थगन की मांग की। सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर 2022 है।
4. कॉर्पोरेट मामले मजालत द्वारा 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधीकरण (एनसीएलएटी) के पास दाखिल शपथपत्र के सदस्य में 15 अक्टूबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि ("कट-ऑफ तिथि") प्रस्तावित की गयी। माननीय एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 2020 के माध्यम से इसके संशोधनों के तहत नये बॉर्डर द्वारा प्रस्तुत समाधान प्रमत्तकों की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी, कंपनी को निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग, नई दिल्ली से निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के प्रभाव के संबंध में मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण हुई। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायधिकरण (आईटीएटी) के साथ स्ट्रे आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर, 2018, 2 जनवरी, 2019, 6 फरवरी, 2019 को मामले को सुनवाई की गई और 15 अक्टूबर, 2018 के एनसीएलएटी आदेश के आधार पर, आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के साथ मामले को अतिरिक्त कर के लिए स्थगित कर दिया।
इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी (ए), नोएडा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए जुमाना आदेश पारित किया, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में 10,893.30 करोड़ रुपये का जुमाना लगाया। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायधिकरण (आईटीएटी) के साथ एक स्थगित आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। आईटीएटी ने मामले को सुनवाई 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की थी। आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अतिरिक्त काल के लिए स्थगित कर दिया है।
21 अप्रैल, 2022 को, कंपनी ने नि.च. 2006-07 से 2014-15 के संबंध में माननीय आईटीएटी के समक्ष लंबित अपीलों को सीए सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में आईटीएटी द्वारा 6 मई, 2022 मामले को सुनवाई की गई। इसके अलावा, स्थगित आवेदन के साथ अपील 21 जुलाई, 2022 को सुनवाई के लिए आई और उस तारीख को विभाग द्वारा नियुक्त विशेष वकील के कार्यालय ने स्थगन की मांग की। सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर 2022 है।
5. खातों की पुस्तकों को फिर से खोलना, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और अन्य निष्कायक एजेंसियों द्वारा जांच और ग्रांट थाईरंडन इंडिया एलएलपी द्वारा फॉरेंसिक जांच, जो कुछ समूह संस्थाओं के लिए प्रक्रिया में हैं, का कंपनी के वित्तीय विवरणों / संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. कंपनी को 4 अक्टूबर, 2021 को नोएडा से अंतिम मांग सूचना दिनांक 30 सितंबर, 2021 प्राप्त हुई, जिसमें नोएडा ने इसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कंपनी द्वारा देय 26.05 करोड़ रुपये की कथित मांग उठाई, जिसमें विफल रहने पर नोएडा डीएनडी प्लांटिफ के नोएडा साइट पर सभी विज्ञापन डिस्प्ले को हटाने की धमकी दी गयी। उक्त नोटिस की प्राप्ति पर, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4 अक्टूबर, 2021 को एक अंतिम आवेदन दायर किया। कंपनी द्वारा दायर अत्यावश्यकता, अत्यन्त विभाग, नई दिल्ली, नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी द्वारा माननीय न्यायालय में नोएडा को सभी घटनाक्रमों की सूचना देने के बावजूद, नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को डीएनडी प्लांटिफ के नोएडा की ओर के सभी विज्ञापन डिस्प्ले अवैध रूप से हटा दिये।
समय की कमी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 अक्टूबर, 2021 को मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था। कंपनी ने एक बार फिर 28 अक्टूबर, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तात्कालिकता का उल्लेख किया और मामले को 9 नवंबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। बाद में 1 दिसंबर, 2021, 7 दिसंबर, 2021 को सुनवाई के लिए लिया गया। इसके बाद, 9 दिसंबर, 2021 को, मामले का उल्लेख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर, 2021, 6 जनवरी, 2022, 10 जनवरी, 2022 को सुना गया। 19 जनवरी, 2022 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 2021 को दायर अंतिम आवेदन का निपटारा इन निर्देश के साथ किया कि कंपनी को 125 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह के भुगतान पर आउटडोर विज्ञापन देने की अनुमति दी जाएगी, जो कि कम्पनी द्वारा दाखिल 2016 के एसएलपी के परिणाम के अधीन है।
सितंबर 2018 के दौरान, नोएडा ने डीएनडी प्लांटिफ के नोएडा साइट पर विज्ञापन से राजस्व के संबंध में 3.69 करोड़ रुपये की मांग के लिए अतिरिक्त कर (दिसंबर 2018 और अप्रैल 2019 के दौरान) कुल 4.76 करोड़ रुपये की मांग की थी। कंपनी ने नोएडा से अनुरोध किया था कि दोनों मांगों को हटाने रखा जाए क्योंकि मामला नोएडा द्वारा माध्यस्थता के लिए भेजा गया था और एनसीएलएटी के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 में नोएडा ने नोएडा की मांग को हटाने के कारण कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।
7. कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।
8. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, 31 मार्च, 2022 को समाप्त पुरे वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो सांख्यिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अंतर्गत हैं।
9. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण तथा अन्य उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सा है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
10. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।
स्थान : नोएडा
निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से निदेशक

इण्डियन ओवरसीज बैंक
1 सौ 47-48, सेक्टर 1, न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप फरीदाबाद, हरियाणा-121001
ई-मेल : job@iob2@iob.in

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]
जवकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार/बंधककर्ताओं/जमानतियों मैसर्स विशाल स्टील (प्लॉट नंबर 381, सेक्टर 24, इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद -121001), पारंर: श्री लीला धर खट्टर (निवासी 2ए-49 एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा), श्री चुन्नी लाल खट्टर (निवासी 2ए-49 एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा) और श्री हरीश खट्टर (निवासी 2ए-49 एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा) सभी स्वर्गीय श्री निर्मल दास खट्टर के पुत्र से सूचना में उल्लिखित 02.05.2022 तक राशि रु. 5,38,31,902.78 (रुपये पांच करोड़ अड़तीस लाख इकतीस हजार नौ सौ दो एवं अठतर पैसे मात्र) तथा वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दर पर भीतर ब्याज एवं रेंट्स, चार्ज ऑफ़ि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 04.05.2022 को मांग सूचना जारी की थी।
(1) कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों/जमानतियों और जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 9 अगस्त, 2022 को कच्चा कर लिया है।
(2) कर्जदारों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संयवहार न करने की चेतावनी दी जाती है एवं सम्पत्ति के साथ कोई संयवहार राशि रु. 5,38,31,902.78 (रुपये पांच करोड़ अड़तीस लाख इकतीस हजार नौ सौ दो एवं अठतर पैसे मात्र) तथा ब्याजसहित अनुबन्ध दर पर ब्याज, मांग सूचना जारी होने के पश्चात भुगतान की तिथि तक पुनर्भुगतान, यदि कोई हो को घटाकर राशि लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कच्चा करने की तिथि तक बकाया देय रु. 5,53,01,246.78 (रुपये पांच करोड़ तीस लाख एक हजार दो सौ छियालीस एवं अठतर पैसे मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं रेंट्स, प्रभार आदि है।
(3) प्रतिभूत आस्तियों को छूड़ने के लिए उपलब्ध समच-नीमा के परिप्रेक्ष्य में बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण		अधिकृत प्राधिकारक
निर्मालक्षित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग		इण्डियन ओवरसीज बैंक
प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूतियों का विवरण	
1. अचल सम्पत्ति का बंधक, स्वायत्त श्री चुन्नी लाल खट्टर, श्री लीला धर खट्टर एवं श्री हरीश कुमार खट्टर	ऑडींगिक बूखंड संख्या 381, सेक्टर 24 फरीदाबाद का इन्वेस्टमेंट बंधक मा. 1288.88 वर्ग म. (80 फीट * 145 फीट) सीमा: उत्तर-सहक, दक्षिण-समथि संख्या 356, पूर्व: संपत्ति संख्या 382 और पश्चिम: संपत्ति संख्या 380, आयाम: उत्तर: 80 फीट, दक्षिण: 80 फीट, पूर्व: 145 फीट, पश्चिम: 145 फीट उचित बाजार मूल्य: रु. 4,12,51,090/- फ्लैट नंबर 98 और 99 पर निर्मित संरक्ति, खसरा नं.1587 मी. और 1590 मी. सामान्य अधिजित अनुप्राणिक मूल्य: रु. 3,30,00,872/- मालिक का नाम: मैसर्स विशाल स्टील के स्वायत्त के वित्तिय एंड अन्य कार्यों के नाम पर। * ऊपर उल्लेखित संरक्ति विशाल-नोएडा में विशेष रूप से कथित रर पर अतिरिक्त ब्याज/अंग भावा के साथ, भुगतान एवं 74 वसूली की तारीख तक किए गए आकर्षित कर, लागत, शुल्क आदि। ** फ्लैट नंबर 98 और 99 पर निर्मित संरक्ति, खसरा नं.1587 मी. और 1590 मी. सामान्य अधिजित अनुप्राणिक मूल्य: रु. 3,30,00,872/- मालिक का नाम: मैसर्स विशाल स्टील के स्वायत्त के वित्तिय एंड अन्य कार्यों के नाम पर।	
	तिथि : 09.08.2022	स्थान : फरीदाबाद

जालधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
पंजी. क्रमां.: टोल प्लाज़ा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091
टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440
CIN: L35999HR19